बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)
भूमि विकास बैंक, चौथा तल्ला, बुद्ध मार्ग, पटना

कार्यालय आदेश

आदेश संख्या–12/चक0अभिलेखागार–01/2013 ...., चक0, पटना, दिनांक ..../

चकबंदी निदेशालय अन्तर्गत पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा पारित आदेश की सत्यापित प्रति चिरकुट आवेदन दाखिल करने के पश्चात् टिकटयुक्त फोलियो पर टंकण करा कर सत्यापित प्रति निर्गत की जा रही है।

ज्ञातव्य हो कि राजस्व पर्षद, बिहार के पत्रांक 69 दिनांक 05.09.2012 द्वारा जिला अभिलेखागार एवं समाहरणालय से संबंधित कार्यालयों में बिहार अभिलेख हस्तक, 1960 के अध्याय 8 के नियम 306 में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व की पद्धति के साथ-साथ फोटो स्टेट कागज पर संबंधित मूल अभिलेख की प्रतिलिपि फोटो कॉपीयर मशीन से तैयार कर तथा नियम 310 में आंशिक संशोधन करते हुए फोटो स्टेट की प्रति पेज पर निर्धारित फोलियो/स्टाम्प के अतिरिक्त रू0 1.00 (एक) रूपये प्रति पेज के भुगतान पर सच्ची प्रतिलिपि जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर सच्ची प्रतिलिपि निर्गत करने का आदेश सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/समाहर्ता को निर्गत है।

चकबंदी निदेशालय के पुनरीक्षण न्यायालय सहित सभी अपीलीय न्यायालय एवं सभी निम्न न्यायालय के भू-अभिलेखों एवं न्यायिक आदेशों की सत्यापित प्रति राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पत्रांक 69 दिनांक 05.09.2012 में निर्धारित प्रक्रिया एवं दर के अनुरूप सत्यापित प्रति निर्गत करना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
निदेशक, चकबंदी
बिहार, पटना।

ज्ञापांक ....1366/चक0, पटना, दिनांक 17.12.2013

प्रतिलिपि :– सभी संयुक्त निदेशक, चकबंदी/सभी उप निदेशक, चकबंदी/सभी चकबंदी पदाधिकारी/चकबंदी निदेशालय के अभिलेखागार प्रभारी पदाधिकारी/अभिलेखागार सहायक/पूनरीक्षण न्यायालय के पेशकार/नोटिस बोर्ड/रक्षी संचिका में संधारण के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, चकबंदी
बिहार, पटना।

E:\Amit Kumar Srivastava\jitendra sir\office order.doc